सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 247/ सो.आ.नि–2 / 312 / 2024
दिनाँकः 09 मई, 2025

प्रेषक,

निदेशक
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः सोशल आडिट प्रक्रिया के कुशल संचालन हेतु नवीन व्यवस्था का पालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 24–03–2025 को सभापति, मा0 कार्यकारिणी समिति, उ0प्र0 सोशल आडिट संगठन/अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार सोशल आडिट प्रक्रिया के कुशल संचालन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर नवीन व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः–

1– जनपद स्तर पर संविदा के आधार पर कार्यरत जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को 20 दिन का आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा।

2– सोशल आडिट रिपोर्ट अपलोडिंग, पी0एफ0एम0एस0 सम्बन्धी कार्य एवं अन्य पत्राचार हेतु जनपद स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से इंगेज किए जाने वाले कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता "**इण्टरमीडिएट**" तथा आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष" निर्धारित की गयी है।

3– मा0 कार्यकारिणी समिति की 19वीं बैठक दिनांक 18–01–2023 में यह निर्णय लिया गया था कि ब्लाक रिसोर्स परसन्स के चयन में "पूर्व में जनपदों के सोशल आडिट कार्य को फैसिलिटेट करने वाले अनुभवी बी0आर0पी0 को उनके कार्यकाल के आधार पर वरीयता दिए जाने" के सम्बन्ध में निम्नवत् अंक निर्धारित करते हुए चयन की कार्यवाही की जायेः–

(1) बी0आर0पी0 के चयन के लिए साक्षात्कार हेतु पूर्णांक – 25

(2) एक वर्ष तक बी0आर0पी0 के रूप में कार्य करने वाले बी0आर0पी0 को वरीयता हेतु निर्धारित अंक–2.5

(3) 02 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक बी0आर0पी0 के रूप में कार्य करने वाले बी0आर0पी0 को वरीयता हेतु निर्धारित अंक–05

2. जनपदों में बी0आर0पी0 के चयन के लिए साक्षात्कार हेतु निर्धारित पूर्णांक–25 में वरीयता के अंक 2.5/05 अंक सम्मिलित हैं अथवा नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

3. बी0आर0पी0 के चयन के लिए साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 25 में वरीयता के उक्तानुसार अधिकतम 05 अंक सम्मिलित मानते हुए यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूर्णांक 25 में 20 अंक साक्षात्कार के होंगे, जो सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा। वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को अधिकतम 05 अंक दिए जाने पर पूर्णांक 20+5=25 अंक का माना जायेगा, जो निम्न तालिका में स्पष्ट किया जा रहा है :–

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	प्राथमिकता के अधिकतम अंक 05	साक्षात्कार के आधार पर प्राप्तांक (साक्षात्कार हेतु अधिकतम अंक 20)	कुल प्राप्तांक अधिकतम अंक 25
1	A	05	18	23
2	B	–	17	17
3	C	2.5	19	21.5
4	D	–	19	19
5	E	–	16	16

जनपदों में बी0आर0पी0 के चयन के लिए साक्षात्कार हेतु निर्धारित पूर्णांक–25 में उपर्युक्तानुसार सभी अभ्यर्थियों पर लागू साक्षात्कार हेतु अधिकतम अंक 20 एवं वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रकरण में वरीयता के अधिकतम अंक 05 को सम्मिलित मानते हुए पैनल गठन की कार्यवाही सम्पादित की जाये।

4– सोशल आडिट टीम के सदस्यों को पैनल पर नामित किए जाने हेतु सम्बन्धित वर्ष की 01 अप्रैल को 40 से 65 वर्ष के स्थान पर पैनल पर नामित करने के समय 25 से 63 वर्ष एवं पैनल पर बने रहने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तथा पूर्व वर्षों में टीमों के पैनल पर नामित सदस्यों को भविष्य में पैनल पर नामित किए जाने हेतु वरीयता (weightage) प्रदान किया जाये।

5– BSAC को अपने विकास खण्ड के अतिरिक्त अन्य विकास खण्ड के BSAC का प्रभार देने की स्थिति में प्रतिमाह नियत यात्रा व्यय रू0 2000/– के स्थान पर रू0 3000/– तथा DSAC/BSAC को अपने जनपद/विकास खण्ड के अतिरिक्त अन्य जनपद/अपने जनपद के DSAC का प्रभार देने की स्थिति में प्रतिमाह नियत यात्रा व्यय रू0 3000/– के स्थान पर रू0 5000/– निर्धारित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

1– BSAC को अपने विकास खण्ड के अतिरिक्त अन्य विकास खण्ड के BSAC का अतिरिक्त प्रभार देने की स्थिति में प्रतिमाह नियत यात्रा व्यय रू0 2000/– के स्थान पर रू0 3000/– अनुमन्य किया जाये।

2– BSAC को अपने जनपद के DSAC का अतिरिक्त प्रभार देने की स्थिति में प्रतिमाह नियत यात्रा व्यय रू0 3000/– के स्थान पर रू0 5000/– अनुमन्य किया जाये।

3– DSAC को दूसरे जनपद के DSAC का अतिरिक्त प्रभार देने की स्थिति में प्रतिमाह नियत यात्रा व्यय रू0 3000/– के स्थान पर रू0 5000/– अनुमन्य किया जाये।

4– अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में यदि किसी BSAC द्वारा उस अतिरिक्त विकास खण्ड में सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने का कार्य किया जाता है तो उसे अन्य विकास खण्ड में जाने हेतु अनुमन्य रू0 240/– प्रतिदिन नियत दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

6– जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर (जनपद स्तर) को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर शासकीय यात्रा करने पर शासनादेश संख्या

3/2019/जी–2–41/दस–2019–601/2011 दिनांक 05–03–2019 के अन्तर्गत यात्रा की अधिकृत श्रेणी हेतु पे–मैट्रिक्स लेवल–6 से कम तथा अनुषांगिक व्यय एवं दैनिक भत्ता हेतु पे–मैट्रिक्स लेवल–5 से कम के अनुसार यात्रा भत्ता अनुमन्य किया जाये।

7– ई–ऑफिस प्रणाली लागू होने के क्रम में पूर्व में जनपदों में कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर क्रय किये जाने हेतु निर्धारित धनराशि रू0 70,000/– की लिमिट बढ़ाकर रू0 1,00,000/– निर्धारित की गयी है, तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

8– कन्टींजेन्सी के रूप में जनपदों को प्रति ग्राम पंचायत अनुमन्य धनराशि रु. 250/– का उपभोग सोशल आडिट हेतु मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत किये गये कार्यों तथा उस पर किये गये व्यय का ब्यौरा प्रिन्ट करने, प्रिंटिंग पेपर, कार्टेज, फोटोकापी, स्टेशनरी, कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की रिपेयरिंग, कार्यालय व्यय (फर्नीचर एवं फिक्चर को छोड़कर) तथा सोशल ऑडिट के प्रचार–प्रसार पर व्यय किया जाये। इसी प्रकार एन.एस.ए.पी. तथा अन्य विभाग की योजनाओं के सोशल आडिट में कन्टीजेन्सी के रूप में प्राविधानित धनराशि का उपभोग भी उक्त मदों में किया जाये।

9– ग्राम पंचायतों में सम्पादित होने वाली सोशल आडिट ग्राम सभा की फोटोग्राफी हेतु निर्धारित रु.100 प्रति ग्राम पंचायत के स्थान पर रु.200 प्रति ग्राम पंचायत अनुमन्य किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार दिए गए बिन्दुओं पर नवीन व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

उक्त व्यवस्था परिपत्र जारी होने की तिथि से लागू होगी।

भवदीय,

Signed by
Kamlesh Kumar
Date: 09-05-2025 15:28:57
(कमलेश कुमार)
निदेशक।

प्रतिलिपि :–

1– समस्त जिला विकास अधिकारी, (गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोड़कर), उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Signed by
Kamlesh Kumar
Date: 09-05-2025 16:29:12
(कमलेश कुमार)
निदेशक।